22.6.22 पत्रावली पेश। वकील अपीलार्थी उपस्थित। वकील अपीलार्थी की बहस पर मनन करके एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर पाया गया कि अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाती उचित प्रतीत होती है।

अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाती है। विस्तृत निर्णय अलग से लिखकर शामिल किया गया। पत्रावली बाद तरतीब तकमील होकर दाखिल दफ्तर हो।

(अभिलाषा)
उपखण्ड अधिकारी
घड़साना

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी घड़साना जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :– अभिलाषा, आर.ए.एस.

अपील संख्या :– 09/2019 (2019/00103 जीसीएमएस)

1. बलवन्त सिंह पुत्र भागसिंह जाति बावरी साकिन 3 एसटीआर तहसील घड़साना जिला श्रीगंगानगर राज0।

....अपीलान्ट

बनाम

1. सरपंच, ग्राम पंचायत 3/4 आरएसएम (देशली) पंचायत समिति घड़साना, जिला श्रीगंगानगर राज0।

....रेस्पोडेन्ट

उपस्थितः– 1. श्री मनफूल सिंह, वकील अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री मदन ज्याणी, वकील रेस्पोडेन्ट की ओर से।

अपील विरूद्ध इन्तकाल संख्या 154 आदेश दिनांक 05.06.2019
द्वारा सरपंच ग्राम पंचायत 3/4 आरएसएम

–:: निर्णय ::–

दिनांक :– 22.06.2022

अपीलान्ट की ओर से एक अपील विरूद्ध इन्तकाल संख्या 154 आदेश दिनांक 05.06.2019 द्वारा सरपंच ग्राम पंचायत 3/4 आरएसएम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि चक 2 आरएसएम, तहसील घड़साना के मु0नं0 74/2 के किला नं. 11/3 की 0.077 हैक्टेयर, 12/2 की 0.113 हैक्टेयर कुल 0.190 हैक्टेयर अनकमाण्ड कृषि भूमि जरिये बैयनामा खातेदार बलवन्त सिंह पुत्र रणजीत सिंह जाति बावरी से दिनांक 30.01.2019 पूर्ण प्रतिफल अदा कर खरीदशुदा है एवं कब्जा भूमि भी क्रेता/अपीलांट ने बैयनामा के रोज उक्त भूमि का प्राप्त कर लिया। जिसका बैयनामा के आधार पर इन्तकाल राजस्व रिकॉर्ड में इन्तकाल संख्या 154 रेस्पोडेन्ट द्वारा अपीलाट को बिना सुने दिनांक 05.06.2019 को अस्वीकृत कर दिया जिससे व्यथित होकर अपीलांट की ओर से यह अपील प्रस्तुत की जा रही है। रेस्पोडेन्ट द्वारा आलोच्य आदेश दिनांक 05.06.2019 अपीलांट को बिना सुनवाई का अवसर दिये पारित किया गया है। इसलिए आलौच्य आदेश काबिल निरस्ती के है। अपीलाधीन भूमि आज भी अपीलांट के कब्जा में है लेकिन रेस्पोडेन्ट द्वारा अन्य व्यक्ति को कब्जा करवाने के आशय से गलत रिपोर्ट का अंकन करवाया गया है। रिपोर्ट में अपीलाधीन भूमि पर अन्य व्यक्ति का कब्जा होना बताया है लेकिन किस व्यक्ति के नाम का

उपखण्ड अधिकारी
घड़साना

कब्जा है, यह खुलासा नहीं किया गया क्योंकि रिपोर्ट के समय अपीलांट का ही उक्त भूमि पर कब्जा था। इस प्रकार रेस्पोडेन्ट ने अपने राजनैतिक प्रभाव का उपयोग कर हल्का पटवारी से गलत रिपोर्ट करवाई गई है। रेस्पोडेन्ट द्वारा आलौच्य आदेश पारित करने से पूर्व अपीलाधीन भूमि पर अपीलांट के कब्जा संबधी कोई जांच नहीं की गई। रेस्पोडेन्ट द्वारा अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर आलौच्य आदेश पारित किया है। अपीलाधीन आदेश दिनांक 05.06.2019 अपीलांट को बिना सूचना एवं सुनवाई का अवसर दिये पारित किया गया है जिसकी सूचना अपीलांट को दिनांक 14.10.2019 को प्राप्त हुई। सूचना की दिनांक से अपील अन्दर मियाद पेश की जा रही है। अपील पेश करने में हुई देरी को क्षमा करने हेतु अलग से धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र पेश किया जा रहा है। अतः अपील पेश कर निवेदन किया गया कि रेस्पोडेन्ट ग्राम पंचायत द्वारा पारित आदेश दिनांक 05.06.2019 जिसकी रूह से अपीलांट के नाम से दर्ज कृषि भूमि तहसील घड़साना के चक 2 आरएसएम के मु0नं0 74/2 के किला नं. 11/3 की 0.077 हैक्टेयर, 12/2 की 0.113 हैक्टेयर कुल 0.190 हैक्टेयर अनकमाण्ड कृषि भूमि का इन्तकाल संख्या 154 अस्वीकृत किया गया, उक्त आदेश को निरस्त किया जाकर अपीलाधीन भूमि अपीलांट के नाम से दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान करें।

अपील के साथ प्रस्तुत एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का अवलोकन कर अपील पेश करने में हुई देरी को क्षमा करते हुए अपील श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार में होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट की ओर से अधिवक्ता श्री मदन ज्याणी उपस्थित आए।

वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई। दौराने बहस वकील अपीलांट ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि उक्त भूमि अपीलांट द्वारा जरिये पंजीकृत बैयनामा खरीदशुदा है एवं मौके पर अपीलांट का ही कब्जा है। फिर भी रेस्पोडेन्ट द्वारा अपीलांट को बिना सुने इन्तकाल खारिज कर दिया गया। इसलिए रेस्पोडेन्ट द्वारा पारित आदेश दिनांक 05.06.2019 निरस्त करते हुए अपीलांट के नाम से इन्तकाल दर्ज करने के आदेश प्रदान करें। वकील रेस्पोडेन्ट ने निवेदन किया कि उक्त भूमि में मौके पर आबादी बसी हुई थी एवं कच्चे पक्के मकान बने हुए थे एवं अपीलांट का कब्जा नहीं था, इसीलिए उक्त इन्तकाल संख्या 154 निरस्त किया गया। अतः अपीलांट निरस्त की जावे।

वकील उभयपक्ष की बहस पर मनन करने के पश्चात् एवं पत्रावली का अवलोकन करने के पश्चात् पाया गया कि अपीलाधीन भूमि अपीलांट द्वारा पूर्ण प्रतिफल अदा कर जरिये पंजीकृत बैयनामा खरीदशुदा है एवं

उपखण्ड अधिकारी
घड़साना

अपीलांट के ही कब्जा में है। रेस्पोडेन्ट द्वारा पूर्ण जांच किए बिना ही आदेश पारित किया जाना प्रतीत होता है। इसलिए अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः अपील अपीलांट्स स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 05.06.19 जिससे रेस्पोडेन्ट द्वारा इन्तकाल संख्या 154 खारिज किया गया, निरस्त किया जाता है एवं तहसीलदार घड़साना को इस आशय से प्रेषित किया जाता है कि नियमानुसार सुनवाई करते हुए पुनः नामान्तरण की कार्यवाही करें।

यह आदेश आज दिनांक 22.06.2022 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय मे लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(अभिलाषा)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
घड़साना

उपखण्ड अधिकारी
घड़साना